इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]　　　　भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 22-23-2011-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, करना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति के ऊपर विर्निदिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल, वल्लभ भवन के कक्ष क्रमांक 210 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम, 164 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''**(164) दरवाजों की चौड़ाई तथा आपातकालीन खिड़की लगाना**'' :—

(1) प्रत्येक लोक सेवायान, निजी सेवायान, ठेका गाड़ी तथा शैक्षणिक संस्थानों के यानों में कम से कम 53 सेंटीमीटर चौड़ाई और पर्याप्त ऊंचाई वाले प्रवेश और निर्गम के लिये पृथक्-पृथक् दरवाजे लगाये जायेंगे :

परन्तु उक्त उपबंध किसी ''मोटर कैब'' केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अधीन निर्मित किसी यान तथा बत्तीस से कम (चालक, परिचालक को छोड़कर) बैठक क्षमता वाले यानों को लागू नहीं होंगे.

(2) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम, 128 के अधीन निर्मित वाहनों से भिन्न प्रत्येक लोक सेवायान, निजी सेवायान, ठेका गाड़ी तथा शैक्षणिक संस्थानों के यानों में, उक्त नियम में यथा उपबंधित विशिष्ट निर्देशों वाली आपातकालीन खिड़की लगायी जाएंगी.

NOTICE

No. F. 22-23-2011-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motaryan Niyam, 1994, which, the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 15 days from the date of publication of the notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Bhopal during office hours at Vallabh Bhawan Room No. 210 from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be taken into consideration by the State Government :—

Draft Amendment

In the said, rules, for Rule 164, the following rule shall be substituted, namely :—

"164. Width of Door's and Fitment of Emergency Window" :—

1. Every public service vehicle, Private Service Vehicles, Contract Carriage and Educational Institution Vehicles shall be fitted with entrance and exit door's separetely having at least 53 centimeter width and of sufficient height :

Provided, that said provisions shall not apply to a "motor cab" a vehicle constructed under rule 128 of Central Motor Vehicle Rules, 1989, and a vehicle having less than thirty two seating capacity (excluding driver and conductor).

2. Every public service vehicle, Private Service Vehicles, Contract Carriage and Educational Institution Vehicles other than those constructed under Rule 128 of Central Motor Vehicles Rules, 1989, shall be fitted with emergency window having specifications as provided under said rule.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.